उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या :4384(1)/8–3–11––181विविध/2008
लखनऊ : दिनॉक: 07 अक्टूबर, 2011

कार्यालय–ज्ञाप
शुद्धि–पत्र

शासनादेश सं0 4384/8–3–11–181विविध/2008 दिनांक 27.09.2011 के माध्यम से निर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के प्रस्तावित संशोधन के अध्याय–24 में दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग तथा अन्य आय वर्गों हेतु एफोर्डेबल हाउसिंग के निर्धारित संगत (Relevant) मानकों के स्थान पर सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बंधी नीति विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 3338/8–1–11–80विविध/ 2010 दिनांक 26.09.2011 द्वारा निर्धारित प्राविधान प्रभावी होगें।

उपरोक्त शासनादेश सं0 4384/8–3–11–181विविध/2008 दिनांक 27.09.2011 द्वारा निर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के प्रस्तावित संशोधन के अध्याय–24 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक,आवास बन्धु, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस संशोधन/शुद्धिपत्र को बेवसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ0प्र0,लखनऊ।
5. अपर निदेशक, नियोजन आवास बन्धु लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।